मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

क्रमांक F 21-418/11/दो/B-1 भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2011

प्रति,

समस्त जिलादण्डाधिकारी, म.प्र.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल/इंदौर,
समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.

विषयः— अति विशिष्ट महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्त/पदस्थ सम्मानित व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में

शासन के ध्यान में आया है कि महामहिम राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री या मंत्रि—मंडल के किसी भी सदस्य के विरूद्ध न्यायालयों में आपराधिक मामले प्रस्तुत हो जाते हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है जिससे अकारण उनकी गरिमा के विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है।

2/ अतः अपेक्षा है कि महामहिम राज्यपाल, विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रि—मंडल के किसी भी सदस्य के संबंध में यदि किसी न्यायालय में कोई मामला पेश होता है तो न्यायालय से संबंधित अभियोजन अधिकारी, थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व एवं पुलिस) तत्काल संबंधित कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को उस मामले की सूचना देंगे, तत्पश्चात् कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक तत्काल संबंधित सूचना संबंधित विशिष्ट व्यक्ति को लिखित में देंगे।

3/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाए।

(अशोक दास)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क्र. F 21-418/11/दो/B-1 भोपाल, दिनांक नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपपुलिस महानिरीक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, अभियोजन, म.प्र. की ओर इस निर्देश के साथ अग्रेषित कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने हेतु समस्त उप संचालक, अभियोजन एवं जिला अभियोजन अधिकारियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग